



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]
No. 383]

नई दिल्ली, बुधस्मतिवार, अप्रैल 24, 2003/वैशाख 4, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2003/VAISAKHA 4. 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2003

का.आ. 467(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 47 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डिजाइन नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए, जो उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख जिसको भारत के राजपत्र को प्राप्तया जिसमें यह आर्धसूचना प्रकाशित को जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, सचिव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिजाइन (संशोधन) नियम, 2003 है;
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- डिजाइन नियम, 2001 के नियम 5 में, उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 14(7)/2002-पोपी एण्ड सी]

ए. ई. अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2003

S.O. 467(E).—The following draft of certain rules to amend the Designs Rules, 2001, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 47 of the Designs Act, 2000 (16 of 2000) is hereby published, as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the general public;

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Any person desiring to make any objections or suggestions in respect of the draft rules, may forward the same for consideration by the Central Government within the period specified above to the Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Designs (Amendment) Rules, 2003.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Designs Rules, 2001, in rule 5, sub-rule (2) shall be omitted.

[F. No. 14(7)/2002-PP&C]

A. E. AHMAD, Jt. Secy.